

DELHI VIDHAN SABHA COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

(FOURTH REPORT)

(PRESENTED ON 09-09-1999)

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

(1999 - 2000)

SECOND ASSEMBLY

FOURTH REPORT

REPORT OF THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

ON THE PARAGRAPHS INCLUDED IN THE REPORT OF THE

COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA FOR THE

YEAR ENDED 31ST MARCH, 1998 RELATING TO THE

IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTMENT.

PART - I

COMPOSITION OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

1999-2000

CHAIRMAN

1. Shri Mukesh Sharma

MEMBERS

1.	Naseeb	Singh
_		3

- 2. Smt. Kiran Walia
- 3. Shri Amrish singh Gautam
- 4. Shri Malaram Gangwal
- 5. Shri Sahab singh Chauhan
- 6. Shri Brahm Singh Tanwar

SECRETARIAT

1.	Shri S.K.	Sharma	Secretary
2.	Shri P.C.	Agarwal	Dy. Secretary
3.	Shri P.N.	Sinha	Under Secretary

SPECIAL INVITEES

Shri K.S. Baidwan
 Smt. Meenakshi Mishra
 A.G. (Audit). Delhi

- 1. I, the Chairman of the Committee on Public Accounts of the Delhi Vidhan Sabha, having been authorised by the Committee to present this Report on their behalf, relating to the examination of Audit Para No.3.6 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 3st March, 1998 pertaining to Irrigation and Flood Control Department, do hereby present this Report.
- 2. The Report of the CAG of India for the year eanded 31st March, 1998 was laid on the Table of the House on 9th April, 1999.
- 3. The Committee at its meeting held on 19.7.1999 & 30.7.1999 considered the important points pertaining to I&F.C Department mentioned in paragraph 3.6
- 4. The Committee records its appreciation of the valuable assistance rendered by Sh. S.K. Sharma, Secretary, L.A., Smt. Meenakshi Mishra A.G. (Audit), Delhi, Sh. K.S. Baidwan, Pr. Secretary (Finance) and other staff of the Secretariat.

The Committee approved this report at its meeting held on 7.9.1999.

Sh. Mukesh Sharma Chairman

Old Secretariat, Delhi:110 054.

Public Accounts Committee Delhi Vidhan Sabha.

Dated: 07 4 September, 1999.

Introduction

- 1. The Committee on Public Accounts has been constituted under Rule 192 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Delhi Legislative Assembly.
- 2. The Committee is appointed for the examination of appropriation of Accounts for the sums granted by the House to meet public expenditure. In scrutinising the appropriation accounts and the report submitted by Comptroller and Auditor General of India thereon, it must satisfy itself that the money shown in the accounts as having been disbursed were:
 - (a) Legally available for and applicable to the Service or purpose to which they have been applied or charged.
 - (b) Every re-appropriation has been made in accordance with the provisions made in this regard in the appropriation accounts or under rules made by competent authority.
 - (c) The expenditure has been incurred under the powers delegated to the competent authority.
- 3. The main instrument of the Committee is the Action Taken Notes sent by the various departments on their concerned paras in the Report of the Comptroller and Auditor General.

IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT

The Committee in its meeting held on 24.6.1999 had interalia decided to take up for examination the Audit Paras relating to the Irrigation & Flood Control Department as contained in CAG Report for the year ended 31.3.1998. The A.G. (Audit), Delhi was requested to prepare the Memorandum of important points (MIPs) on this para for the convenience of the Committee. The MIPs were accordingly furnished to the Committee.

The C&AG Report contained only one para (viz No.3.6) relating to the Irrigation & Flood Control Deptt. which interalia reads as follows:

3.6 Non-recovery of Rs.3.41 Crores for deposit Works.

The Executive Engineers of nine Civil Divisions executed deposit works worth Rs.4.56 crore during September 1986 to December 1997 without realising contributions, of which Rs.3.41 crore were still outstanding against them."

Deliberations by the Committee

In response to a communication by the Assembly Secretariat, the Department submitted the ATNs vide their letter dated 2.6.1999 and the same were taken up for examination in the meeting held on 19th July, 1999. The Committee was not satisfied with the reply furnished in the ATN and sought additional information on the following points:

- the amount outstanding, year-wise, against the Deptts. whose works were taken up by the Divisional Officers of I&FC as 'Deposit Works';
- ii) dates on which payments were made by these
 departments;
- iii) dates when letters were sent by I&FC Deptt. to realize the outstanding dues from MCD, DSIDC, DDA, PWD etc;
- iv) why direction to S.Es and XNs not to take up deposit works in future without obtaining the deposits, could not be issued earlier in the last ll years; and
- v) details of renovations amounting to Rs. 6.81 lakhs carried out in the Office of S.D.M., Najafgarh, New Delhi; the name of S.D.M; the break-up of works done, details of tenders; the agencies executing the works, copies of requisitions, justification for spending the huge amount and other necessary details.

The department submitted its reply to the aforesaid queries. The Committee was astonished to be informed that huge amount; were outstanding against various departments

with regard to deposit works. It had also been revealed to the Committee that these outstanding amounts had not been paid by the concerned department. Despite this, the I&FC Department continued to carry out works for the erring deptts., especially the MCD.

As regards the renovations carried out in the office of the SDM, Najafgarh, the Committee was of the view that such works should not generally be carried out on the pretext that a VIP was likely to visit that area. Moreover the works were executed and completed much after the VIP had undertaken the visit. The Committee also pointed out that most of the works undertaken by the Department by way of work orders and desired that the work order system should be dispensed with, as far as possible.

As regards the amount outstanding, against some departments, the Committee requested Pr. Secretary (Finance) to deduct the outstanding amounts of the erring departments from their annual grants and pass on the same to I&FC Deptt. The Department shall takeup the matter with Pr. Secretary (Finance).

Recommondations

The Committee after detailed deliberations made the following recommendations:

- a) the department should refraian from taking up deposit works without first obtaining the deposit.
- b) while executing works, the department should adhere to the codal formalities contained in the PWD manual, General Financial Rules and other guidelines laid down by the Govt from time to time in the matter.
- c) Tender system should be resorted to for different kinds of works and the practice of executing the works by way of work orders should as far as possible be discouraged.

d) the I&FC should execute only those type of works which strictly come under their perview.

Conclusions

The Committee was on the whole satisfied with the replies furnished by the Department and efforts being made by it to realize the outstanding dues on acount of deposit works and therefore decided to drop the Audit Para.

दिल्ली विधान तभा

दितीय विधान तभा

प्रतिवेदन संख्या - चार

' तिंचाई खं बाद नियंत्रण विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक रवं महालेखा परोक्षक के प्रतिचेदन \$31 मार्च, 1998 को तमाप्त हुए वर्ष के लिये धर "लोक लेखा समिति" का प्रतिचेदन 1

लोक लेखा समिति का गठन

1999-2000

तभापति श्री मुकेश शर्मा

सदस्यग ण

श्री नतीब तिंह श्रीमती किरण वालिया श्री अमरोश तिंह गौतम श्री माला राम गंगवाल श्री ताहब तिंह चौहान श्री ब्रह्म तिंह तंवर

स चिवालय

श्री एत. के. शर्मा श्री पी. ती. अगृवाल श्री पी. एन. तिंहा

सचिव उप-सचिव अवर सचिव

विशेष आमंत्रित

त्रो के एस वैदवान त्रोमति मिनाक्षी मित्रा

प्रधान सचिविश्विततः महालेखाकार∛लेखा परीक्षण्श्, दिल्लो मैं, तभापति, लोक लेखा समिति, दिल्ली विधान तभा, समिति द्वारा उनकी ओर से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किये जाने पर सिंचाई एवं बाद्र-नियंत्रण विभाग से संबंधित भारत सरकार के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन के पैरा-3. 6 के जाँच का यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

- 2. भारत सरकार के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का \$31 मार्च, 1998 को समाप्त हुए वर्ष के निये र्ये प्रतिवेदन विधान सभा के पटन पर ०९ - ०४- 1999 को रखा गया।
- 3. लोक लेखा समिति ने दिनांक 19.7.99 की अपनी बैठक में सिंचाई एवं बाद्ध नियंत्रण विभाग से संबंधित पैरा 3.6 के मुख्य मुद्दों पर विचार किया ।
- 4. तिमिति, श्री एस के शर्मा, तिचव, विधान तभा, श्रीमती मिनाक्षी मिश्रा, महालेखाकार हेलेखा परोक्षाह दिल्ली तथा श्री के एस बैदवान, प्रधान तिचव हित्तह दिल्ली को उनके तहयोग के लिये धन्यवाद देती है।
- 5- यह पृतिवेदन दिनांक 7-9-1999 को समिति द्वारा पारित किया गया।

पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110 054

दिनांक: १ सितम्बर, 1999

१ मुकेश शर्मा १ सभापति, लोक लेखा समिति, दिल्ली विधान समा ।

पुस्तावना

- लोक लेखा समिति का गठन दिल्ली विधान सभा को पक्रिया खं कार्य संचालन नियमावली के नियम-192 के अंतर्गत किया गया है।
- 2. समिति का गठन सार्वजनिक ट्यय हेतु सदन द्वारा स्वोकृत धनराशि के लेखों के विनियोजन की जाँच करने के लिए किया गया है। विनियोजित लेखों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परोक्षक द्वारा उस पर प्रस्तुत किए गए पृतिवेदन की जाँच करने के संदर्भ में समिति को स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि जिस लेखे १ एकाउन्द्स १ में धन वितरित किया गया दर्शाया गया था वह :-
- र्क जिस सेवा अथवा प्रयोजन के लिए इस्तेमाल अथवा प्रभारित किया गया है, उसके लिए वह वैद्यानिक रूप से उपलब्ध था और लागू भी होता था।
- १८४ प्रत्येक पुनर्विनियोजन इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार विनियोजन लेखों में या सक्षा प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत किया गया है।
- १ँग १ व्यय सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ के अंतर्गत किया गया है।
- 3. इस संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन में संबंधित पैरा श्वाहिट पैरा के संबंध में विभिन्न विभागों दारा भेजा गया एकान टेकन नोट्स हो समिति का प्रमुख साधन होते है।

सिंघाई एवं बाद नियंत्रण विभाग

समिति ने दिनांक २५. ६. ९९ को अपनी बैठक में सिंचाई एवं बाद नियंत्रण विभाग ते संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परोक्षक के प्रतिवेदन १३। ३. ९८ को समाप्त हुए वर्ष में उत्लिखित लेखा अनुच्छेद ३. ६ को जाँच का निर्णणितिया था तथा समिति ने सुविधा के लिए दिल्लो के महालेखाकार से भी महत्वपूर्ण विद्वार पर ज्ञापन तैयार करने का अनुरोध किया था। तद्वासार ये महत्वपूर्ण विद्वासारित को दिये गए।

नियंत्रक एवं महालेखा परीधक के प्रतिवेदन में तिंचाई एवं बाद नियंत्रण विभाग ते तंबंधित पेरा 3.6 था, जो इस प्रकार ते है :-

3.6 जमा निर्माण कार्यों के लिए 3.41 करोड़ रूपए की वसूनी न किया जाना ।

"अंशदान की उगाही किए बिना तितम्बर, 1986 से दिसम्बर, 1997 के दौरान नौ तिविल डिविजनों के कार्यकारी अभियन्ताओं ने 4.56 करोड़ रूपये मूल्य के "जमा कार्य"का निष्पादन किया, जिसमें से 3.41 करोड़ रूपये उनके पृति अभी तक बकाया थे।"

समिति दारा किया गया विचार-विमर्श

विधान तभा तिच्चालय द्वारा मांगी गई तूचनाओं के संबंध में विभाग ने 2. 6. 99 को अपना एक्शन टेकन नोट्त भेजा जिसे दिनांक 19. 7. 99 की बैठक में जाँच हेतु रखा गया । तिमिति इन एक्शन टेकन मोट्त में दिये गये उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुई और निम्नलिखित मुद्दों पर अतिरिक्त जानकारो मांगी ।

- ११ उन विभागों के पास वर्धवार वकाया धनराधि की सूची, जिनका कार्य सिंचाई एवं बाद नियंत्रण विभाग के डिविजनल अधिकारियों दारा "जमा निर्माण कार्य" के अंतर्गत किया गया ।
- 👔 ां 🌡 उन विभागों दारा किये गए भुगतान को विधियाँ।
- §।।। तिंचाई एवं बाद्ध नियंत्रण विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग पर बकाया धन का भुगतान करने के संबंध में उन्हें लिखे पत्रों की तिथियाँ।
- १ं। पिछले ।। वर्षों में अधोधक अभियन्ताओं, कार्यकारी अभियन्ताओं को यह निर्देश वर्षों नहीं दिये गये कि दे जमा राशि लिये विना भविष्य में "जगा निर्माण कार्य" द करें।

∮ № नजफ गढ़ के एस डी. एम. के कार्यालय में नवी नो करण कार्य करने के लिये खर्च
किये गये ७ ८। लाख रूपये का विवरण, एस डी. एस. का नाम, किये गये कार्य
का विस्तृत विवरण, निवेदाओं का ब्यौरा, कार्य करने वाली एजेन्सियों के नाम,
मांग पत्रों की प्रतिलिपियाँ, इतनी बड़ी राशि को व्यय किये जाने का औचित्य
तथा अन्य आवश्यक विवरण।

विभाग ने उपर्युक्त प्रानों का उत्तर दिया । समिति इस सूचना पर आश्चर्यचिकित थी कि विभिन्न विभागों पर जमा निर्माण कार्य की भारी धनराशि बकाया थी । समिति को यह भी मालूम हुआ कि संबंधित विभाग दारा बकाया थन का भुगतान नहीं किया गया फिर भी सिंगाई एवं बाद नियंत्रण विभाग ने इन विभागों का कार्य करना जारी रखा विभाग विभाग ने इन विभागों का कार्य करना जारी रखा विभाग विभाग विभाग ने इन विभागों का कार्य करना जारी रखा

नजफ गढ़ के एस. डी. एम. कार्यानय के नवीनीकरण कार्य के संबंध में समिति ने यह
राय व्यक्त की थी कि आम तौर पर इस प्रकार के कार्य एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के
, उस क्षेत्र में संमावित आगमन के बहाने नहीं किये जाने चाहिए । इसके अतिरिक्त ये कार्य
वो. आई. पी. के दौरे के काफी बाद तक चलते रहे तथा पूरे किये गये । समिति ने यह भी
दिप्पणों की कि विभाग द्वारा अधिकतर कार्य वर्ष ऑर्डर पर किये गये और यह भी इच्छा
जाहिर की कि वहाँ तक संभव हो कार्य का औंर्डर देने की क्षेत्रक ऑर्डर प्रणाली को न
अपनाया जाये । कुछ विभागों पर बकाया धनरािंश के संबंध में समिति ने प्रधान सचित्र वित्त के
से अनुरोध किया कि बकाया चुकाने वाले विभागों के बकाया वार्षिक अनुदानों से
काट कर सिंचाई एवं बाद नियंत्रण विभाग को दे दो जाये।

तिफा रिशें

समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित तिफारिशें की :-

- र्ष विभाग को बिना पहले जमा राशि लिये हुए "जमा निर्माण कार्य" ्रेडिपोजिट वर्क्र नहीं करना चाहिए।
- १व१ कार्य करने के दौरान जिमाग को लोक निर्माण विभाग को नियम पुरितका, सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए सामान्य वित्त नियमों एवं अन्य दिशा निर्देशों का अनुमालन करना चाहिए।

- हुंगहुं विशिन्न कार्यों के लिये निविदा प्रणाली को लागू किया जाये तथा "जमा कार्य को वर्ज ऑर्डर दारा दिये जाने की प्रणाली को जहाँ तक संभव हो सके, समाप्त किया जाना चाहिए।
- १घ१ तिंचाई एवं बाद नियंत्रण विभाग उन्हों कार्यों को करे जो पूर्णतः उसके कार्य क्षेत्र में आते हों ।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर समिति विभाग द्वारा दिये गये उत्तरों तथा "जमा कार्यों" के बकाया धन के उगाही के प्रयासों के संबंध में विभाग द्वारा किये गए प्रयासों से संतुष्ट हुई अतः समिति ने लेखा परीक्षा पैरा को समाप्त करने का निर्णय लिया ।